

168/c

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY PART-IV)

**DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES, & CONSUMER AFFAIRS AND
WEIGHTS & MEASURES, GOVT. OF NCT OF DELHI
K-BLOCK, VIKASH BHAWAN, NEW DELHI**

NOTIFICATION

No.7(63)/MWM/2000/ - In exercise of the Powers conferred by Sub - Sec(1) of Sec(5) of the Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act, 1985 (No. 54 of 1985) and read with the section 3(n) of said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri A.S.Dagar, as Controller(Weights & Measures) to be the Controller of Legal Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

The Government's earlier notification No. F 7(63)MWM/2000/145-155 dated 22-4-08 appointing of Sh. D.P.Dwivedi as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled.

**By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.**

S.S. Rathor 27/10/09
(S.S. RATHOR)

Jt. Secy. Cum Jt. Commissioner (F&S)

No.F 7(63)MWM/2000 \ 1928-38

Dated: 27-10-09

Copy forwarded for information and necessary action to the:

1. Commissioner (F&S), K Block Vikas Bhawan New Delhi.
2. Director (Vig), Dte. Of Vigilance, Delhi Sachivalya, N. Delhi.
3. Secretary, Department of Law & Justice, Govt. of NCT of Delhi.
4. Joint Secy. (Services), Services Department GNCT of Delhi.
5. Director, Legal Metrology, Krishi Bhawan GNCT of Delhi.
6. Dy. Secy. (GAD), Co-ordination Branch GNCT of Delhi with 2 copies for publication in Part-IV Extra Ordinary Delhi Gazette.
7. Concerned Court.
8. Addl. Commissioner (Admn.) F&S Department, GNCT of Delhi.
9. Director, Information & Publicity GNCT of Delhi.
10. Officer Concerned.
11. Guard File

S.S. Rathor 27/10/09
(S.S. RATHOR)

Jt. Secy. Cum Jt. Commissioner (F&S)

1661c
दिल्ली राजपत्र-भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ

कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, माप तोल विभाग, दिल्ली सरकार
'के' ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002


दिनांक

अधिसूचना

सं.फा 7(63) एम.डब्लू.एम/2000/मानक बॉट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम (1985 का 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 3 (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बॉट एवं माप के नियन्त्रक ए.एस.रटौर, को विधिक माप पद्धति का नियन्त्रक नियुक्त करते हैं।

श्री डी.पी.द्विवेदी, नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्त की उक्त धारा 5(1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. फा.7(63)/एम.डब्लू.एम/2000/145-155 दिनांक 22-04-08 को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर



(एस.एस.रटौर)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त (खाद्य एवं सम्भरण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

संख्या फा0 7(63)एम.डब्लू.एम/2000/ 1928-38

दिनांक 22-10-09

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, खाद्य सम्भरण एवं उपभोक्ता मामले एवं बाट एवं माप विभाग दिल्ली सरकार 'के' ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली -110002
2. सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. निदेशक, बाट एवं माप विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन दिल्ली।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (सेवाए) सेवा विभाग-1, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
6. नियन्त्रक, बाट एवं माप विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) खाद्य एवं सम्भरण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कोआर्डिनेशन) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, को दो प्रतियाँ असाधारण दिल्ली राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
9. सम्बन्धित न्यायालय।



(एस.एस.रटौर)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त (खाद्य एवं सम्भरण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली